

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र -2,  
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक 22 जून, 2006

विषय: समर स्टेडी हाल गंगापुर गोसाई, कुण्डेश्वरी, उधमसिंह नगर  
को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समर स्टेडी हाल गंगापुर गोसाई, कुण्डेश्वरी, उधमसिंह नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10- 02 अध्यापक अप्रशिक्षित के प्रशिक्षित होने, शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने तथा संस्था के बायलोज में शासनादेश संख्या 2762/ 15-13-91-4(46) /91 दिनांक 31-11-91 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का समावेश किये जाने की शर्तों के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती हैं।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 माहेश्वरी)

अपर सचिव

संख्या: 366 (1) XXIV-3/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- प्रबन्धक, समर स्टेडी हाल गंगापुर गोसाई, कुण्डेश्वरी, उधमसिंह नगर।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 माहेश्वरी)

अपर सचिव